

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना।
--: कार्यालय आदेश ::--

का० आ० सं०-1/स्थाप० (क्ष०) प्र०-01/2016- 45 पटना-01, दिनांक- 16-06-17

बिहार नियोजन लिपिकीय संवर्ग नियमावली-2008 के नियम 11 (4) एवं 11 (5) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत निम्नांकित उच्चवर्गीय लिपिकों को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में आदेश निर्गमन की तिथि से बिहार नियोजन लिपिकीय सेवा के प्रधान लिपिक के पद पर वेतनमान बैंड वेतन 9300-34800/- + ग्रेड पे 4200) पर सर्शत औपबंधिक प्रोन्नति दिया जाता है-

क्र० सं०	नाम	वरीयता क्रमांक
1	2	3
1	श्री अरूण कुमार	93
2	श्री विनय कुमार	94


2. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ प्रधान लिपिक के पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से अनुमान्य होगा।
3. यह सर्शत औपबंधिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एवं एस० एल० पी० (सी०) सं०-29770/2015 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।
5. प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(संजय कुमार सिंह)
निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1/स्थाप० (क्ष०) प्र०-01/2016- पटना-01, दिनांक-
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सभी उप निदेशक
(नियोजन)/सभी सहायक निदेशक (नियोजन),/सभी जिला नियोजन पदाधिकारी/सभी नियोजन
पदाधिकारी/सभी संबंधित प्रधान लिपिकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह०/-
निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1/स्थाप० (क्ष०) प्र०-01/2016- 613 पटना-01, दिनांक- 16-06-17
प्रतिलिपि- आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने संबंधी
कार्रवाई करने हेतु प्रेषित।


निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।
U.K